

27. सरजू देवी पत्नि शिवचरण जाति हरि० ब्रा० निवासी शिवधर्म कांटे के पीछे तुंगा रोड बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर राज०।
28. सीताराम पुत्र चंदाराम जाति माली निवासी शांति गार्डन के सामने तुंगा रोड बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर राज०।
29. उपपंजीयक बस्सी जिला जयपुर राज०।
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर राज०।

--:प्रतिवादीगण:--

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-श्री सनातन पारीक, एड० वादी

श्री कुलदीप शर्मा, एड० प्रतिवादी संख्या 1 व 2

स्वयं प्रतिवादी संख्या 3,7,10,15,16,18,20,21,22,27

पर्चा डिक्री

दिनांक 05/12/2024

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा आराजी खाता संख्या 1178 खसरा नम्बर 738 रकबा 2.3000 है०, 1953 रकबा 0.0200 है० गै०मु०चाह, खसरा नम्बर 737 रकबा 0.0100 है० कुल कित्ता 3 कुल रकबा 2.3300 हैक्टियर स्थित ग्राम बस्सी पटवार हल्का बस्सी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी रिपोर्ट दिनांक 25.08.2023 के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है। नक्शा खसरा नम्बर है० 1954 रकबा 4.2600 है० ग्राम बस्सी में मौके पर रहवासीय कॉलोनी अधिकांश भाग पर बस चुकी है। अतः खसरा नम्बर है० 1954 के कुर्रैजात तैयार नहीं किये जाने से विभाजन नहीं किया गया।

क्र.स.	नाम खोतदार	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टियर)
1	कालू, राकेश पिता मोहनलाल जाति हरियाणा ब्राहमण सा.देह।	738/1	1.043
		738/5	0.0570
		737	0.01
		कुल कित्ता 3	कुल रकबा 1.11
2	शिवचरण पुत्र स्व० रूपनारायण जाति हरियाणा ब्राहमण सा.देह।	738/2	1.053
		738/4	0.0570
		कुल कित्ता 2	कुल रकबा 1.11
3	शामलाती बदस्तूर जमाबन्दी अनुसार।	738/3	0.09
		1953	0.02
		कुल कित्ता 2	कुल रकबा 0.11

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। नक्शा कुर्रैजात दिनांक 25.08.2023 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 05/12/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(ओम प्रकाश मोना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जयपुर ग्रामीण

